

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की 23वीं बैठक,

दिनांक 20.02.2014 का कार्यवाही विवरण।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की 23वीं बैठक दिनांक 20.02.2014 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न **परिशिष्ट-‘अ’** अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :-

- एजेण्डा क्रमांक-1** समिति की 22वीं बैठक दिनांक 17.09.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
- एजेण्डा क्रमांक-2** सदस्य सचिव द्वारा समिति की 22वीं बैठक दिनांक 17.09.2013 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति 22वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही से अवगत हुई-

समिति द्वारा एजेण्डा क्र. 3 से 45 तक एवं 1 अतिरिक्त एजेण्डा में इकाइयों के क्लेम प्रकरणों पर चर्चा उपरांत लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

उपरोक्तानुसार प्रकरणों पर लिये गये निर्णय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशासित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मेसर्स वर्धमान यार्न (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल लिमिटेड) औद्योगिक क्षेत्र, सतलापुर (मण्डीद्वीप) जिला रायसेन	29.03.2009	19576.03	‘स’	15.05.2007 से 14.05.2017 – 10 वर्ष (75%)	2008-09 पुनर्विचार प्रकरण	—	—	स्थगित
4.	एसईजेड में स्थापित इकाइयों को मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत पंजीयन के संबंध में (मेसर्स एसआरएफ लि., पीथमपुर, इंदौर)	पंजीयन के संबंध में नीतिगत निर्णय							विस्तृत निर्णय पृथक से नीचे उल्लेखित है।
5.	मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि., पीथमपुर, जिला धार।	30.09.2006 (विस्तार)	597.50	‘स’	30.09.2006 से 29.09.2011 – 5 वर्ष, (50%)	2008-09	2.61 सप्लीमेंट्री क्लेम	2.61 (सप्लीमेंट्री क्लेम)	2.61
6.	मेसर्स के.जे.वी. अलाय कंडक्टर्स लि. जिला छिंदवाड़ा।	29.03.2009 (नवीन)	1125.09	‘स’	29.3.2009 से 28.3.2019 – 10 वर्ष (75%)	2010-11	68.48	68.48	68.48

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशासित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	मेसर्स जी.ई.आई. पॉवर लि. मण्डीद्वीप, जिला रायसेन,	27.03.2009 (नवीन)	858.52 (उत्पादन दिनांक तक) 5582.92 (तीन वर्ष में) कुल 6441.44	'स'	27.3.2009 से 26.3.2014 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	403.18 (75: राशि)	268.79 (50: राशि तथा पूर्व की 25: राशि 48.22 कम करने के उपरांत 220.56 लाख वितरण हेतु)	268.79 (50: राशि तथा पूर्व की 25: राशि 48.22 कम करने के उपरांत 220.56 लाख वितरण हेतु)
8.	मेसर्स विप्पी स्पिनप्रो लि., देवास।	1.1.2006 (विस्तार)	634.60	'अ'	1.1.2006 से 31.12.2010 - 5 वर्ष (50%)	2006-07	3.29	3.29	3.29
9.	मेसर्स विप्पी स्पिनप्रो लि., देवास।	1.1.2006 (विस्तार)	634.60	'अ'	1.1.2006 से 31.12.2010 - 5 वर्ष (50%)	2007-08	1.95	0.46	0.29
10.	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., यूनिट 2, जिला सतना।	1.1.2011 (नवीन)	80889.65	'अ'	1.1.2011 से 31.12.2017 - 7 वर्ष (75%)	2011-12	4525.96	4525.96	4525.96
11.	मेसर्स जेसीओ गेस पाईप लि., छिंदवाड़ा।	1.4.2009 (नवीन)	2507.95	'स'	1.4.2009 से 31.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	84.30	84.30	82.86
12.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर।	16.3.2009 (द्वितीय विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन)	4377.23	'स'	16.3.2009 से 15.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2008-09	1.19	1.19	स्थगित
13.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर।	16.3.2009 (द्वितीय विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन)	4377.23	'स'	16.3.2009 से 15.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2009-10	28.80	28.80	स्थगित
14.	मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर।	16.3.2009 (द्वितीय विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन)	4377.23	'स'	16.3.2009 से 15.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	81.11	81.11	स्थगित
15.	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	20.18	20.18	20.18
16.	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	168.74	168.74	168.74
17.	मेसर्स अग्रवाल इंडोटेक्स लि., खंडवा।	1.9.2007 (नवीन)	1957.70	'स'	1.9.2007 से 31.8.2017 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	48.21	48.21	स्थगित
18.	मेसर्स एच.डी. वायर्स प्रा.लि., (गेलवेनाइज्ड डिविजन) इंदौर।	1.6.2007 (नवीन)	501.81	'विकसित'	1.6.2007 से 31.5.2010 - 3 वर्ष (50%)	2009-10	41.18	41.18	41.18
19.	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि. रतलाम।	19.3.2007 (नवीन)	1768.82 (उत्पादन दिनांक तक) 1800.42 (तीन वर्ष में) कुल	'अ'	19.3.2007 से 18.3.2012 - 5 वर्ष (50%)	2009-10	588.69 (75प्रतिशत)	392.46 (50प्रतिशत)	392.46

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशासित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3569.24						
20.	मेसर्स डायमंड सीमेंट, दमोह।	18.2.2013 (विस्तार)	96610.61	'स'	18.2.2013 से 17.2.2023 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	185.78	185.78	185.78
21.	मेसर्स मंतरम टेक्नोफेब प्रा.लि., बड़वानी।	3.11.2010 (नवीन)	1213.56	'स'	3.11.2010 से 2.11.2020 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	9.22	9.22	स्थगित
22.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ।	7.10.2012 (डायवर्सिफी केशन)	1879.49	'स'	7.10.2012 से 6.10.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	40.83	40.83	स्थगित
23.	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ।	19.12.2005 (नवीन)	665.83	'स'	19.12.2005 से 18.12.2010 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	71.82	71.82	71.82
24.	मेसर्स पेरेंटल ड्रग्स (इंडिया) लि., इंदौर।	28.2.2010 (विस्तार / डायवर्सिफी केशन)	6806.41	विकसित	28.2.2010 से 27.2.2013 - 3 वर्ष (75%)	2010-11	93.29	93.29	स्थगित
25.	मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर।	5.3.2009 (नवीन)	1808.83	'स'	5.3.2009 से 4.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	127.11	127.11	127.11
26.	मेसर्स पेब स्टील लायड (इंडिया) लि., खेड़ा, पीथमपुर।	1.8.2007 (नवीन)	2101.70	'स'	1.8.2007 से 31.7.2017 - 10 वर्ष (75%)	2009-10	85.28	85.28	85.28
27.	मेसर्स नर्मदा एक्सट्रक्शन लि. पीथमपुर।	30.9.2006 (विस्तार)	597.50	'स'	30.9.2006 से 29.9.2011 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	30.55	30.55	30.55
28.	मेसर्स रमानी आईसक्रीम, भोपाल।	31.3.2010 (विस्तार)	503.58	विकसित	31.03.2010 से 30.3.2013 - 3 वर्ष (50%)	2010-11	62.16	62.16	62.16
29.	मेसर्स मैहर सीमेंट, मैहर, सतना।	1.1.2007 (विस्तार)	8767.45	'अ'	1.1.2007 से 31.12.2013 - 7 वर्ष (75%)	2010-11	757.85	757.85	678.98
30.	मेसर्स इकोन अंठी लि., ग्वालियर।	5.3.2009 (विस्तार)	353.49	'स'	5.3.2009 से 4.3.2014 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	31.15	31.15	31.15
31.	मेसर्स सिद्धी विनायक एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.छिंदवाड़ा।	1.9.2012 (नवीन)	2296.99	'स'	1.9.2012 से 31.8.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	24.58	24.58	24.58
32.	मेसर्स एपी इंडिया बायोटेक प्रा.लि. मेघनगर।	3.7.2012 (नवीन)	2057.00	'स'	3.7.2012 से 2.7.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	169.50	169.50	169.50
33.	मेसर्स उदयपुर बेवरेजेस लि., रिछाई, जबलपुर।	21.3.2012 (डायवर्सिफी केशन)	2129.72	'स'	21.3.2012 से 20.3.2022 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	0.96	0.96	0.96

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	अनुशासित निवेश संवर्धन सहायता राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लि., देवसर, सिंगरौली।	7.7.2007 (नवीन)	3504.77	'स'	7.7.2007 से 6.7.2017 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	124.44	124.44	124.44
35.	मेसर्स भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट प्रा. लि., खजुरी सड़क, भोपाल।	4.2.2008 (नवीन)	313.08	विकसित	4.2.2008 से 3.2.2011 - 3 वर्ष (50%)	2010-11	114.33	114.33	114.33
36.	मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि., धार।	30.3.2009 (विस्तार)	1223.63	'स'	30.3.2009 से 29.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	64.34	64.34	64.34
37.	मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी एग्रोट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. पीथमपुर।	1.3.2008 (विस्तार)	361.79	'स'	1.3.2008 से 28.2.2013 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	43.56	43.56	43.56
38.	मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर।	30.12.2009 (विस्तार)	524.09	'स'	30.12.2009 से 29.12.2014 - 5 वर्ष (50%)	2009-10	49.70	49.70	49.70
39.	मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर।	30.12.2009 (विस्तार)	524.09	'स'	30.12.2009 से 29.12.2014 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	178.06	178.06	178.06
40.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि. सतना।	9.3.2012 (नवीन)	85755.04	'अ'	9.3.2012 से 8.3.2019 - 7 वर्ष (75%)	2011-12	9.73	9.73	स्थगित
41.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट प्लांट, सीधी।	1.3.2009 (नवीन)	76300.00	'स'	1.3.2009 से 28.2.2019 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	3120.03	3120.03	स्थगित
42.	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	307.46	307.46	307.46
43.	मेसर्स अंकित पॉलिसेक इंडिया लि., टीकमगढ़।	15.12.2012 (नवीन)	1118.31	'स'	15.12.2012 से 14.12.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	53.14	53.14	53.14
44.	मेसर्स विक्रम यूरेथिन प्रा.लि., पीथमपुर।	30.3.2009 (नवीन)	969.72 (उत्पादन दिनांक तक) 117.67 (तीन वर्षों में) कुल 1087.39	'स'	30.3.2009 से 29.3.2014 - 5 वर्ष (50%)	2011-12	471.58 (75: के आधार पर)	299.11 (50: के आधार पर) पूर्व की अधिक राशि रु. 8624 समायोजन पश्चात रु.212.87 वितरण हेतु	299.11 (50: के आधार पर) पूर्व की अधिक राशि रु. 8624 समायोजन पश्चात रु. 212.87 वितरण हेतु
45.	मेसर्स नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. यूनिट न0. 2, धार।	4.11.2004 (विस्तार)	9897.19	'स'	4.11.2004 से 3.11.2014 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	789.00	789.00	789.09
अतिरिक्त	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि. पीथमपुर	04.02.2006 (विस्तार)	454.04	'स'	04.02.2006 से 03.02.2011 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	227.08	227.08	227.08

1. एजेण्डा क्रमांक 4 – एसईजेड में स्थापित इकाइयों को मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत पंजीयन के संबंध में (मेसर्स एसआरएफ लि., पीथमपुर, इंदौर) –

मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड– इन्दौर,एसईजेड पीथमपुर, जिला–धार में नवीन इकाई, विस्तारित एवं शवलीकृत उत्पाद के पंजीयन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 07.08.2013 को प्रस्तुत किया है, जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया । इकाई के नवीन इकाई, विस्तारित एवं शवलीकृत उत्पाद के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:–

क्रं.	उत्पाद का नाम	नवीन इकाई			विस्तारित इकाई			शवलीकृत इकाई			कुल	
		मूल उत्पादन क्षमता	उत्पादन दिनांक	पूंजी निवेश (राशि रु. लाख में)	विस्तारित उत्पादन क्षमता	उत्पादन दिनांक	पूंजी निवेश (राशि रु. लाख में)	उत्पादन क्षमता	उत्पादन दिनांक	पूंजी निवेश (राशि रु. लाख में)	उत्पादन क्षमता	पूंजी निवेश (राशि रु. लाख में)
1.	पोलिस्टर फिल्म	20500 टन प्रतिवर्ष (03 वर्ष का औसत 25000 टन)	09.10.04	13573.30	27000 टन प्रतिवर्ष	23.12.09	16429.9	–	–	–	52000 टन प्रतिवर्ष	30003.20
2.	पोलिस्टर रेजिन	–	–	–	–	–	–	61000 टन प्रतिवर्ष	28.09.10	8683.80	61000 टन प्रतिवर्ष	8683.80
											योग	38687.00

2 इकाई एसईजेड इन्दौर में दिनांक 09.10.2004 से उत्पादनरत है। इकाई द्वारा मूल उत्पादन दिनांक से लगभग 9 वर्ष, विस्तार अंतर्गत उत्पादन दिनांक 04 वर्ष एवं शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन दिनांक लगभग 03 वर्ष पश्चात् उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इतने विलंब से आवेदन करने का कारण इकाई द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2004 में उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् एसईजेड के नियमों के अनुसार उन्हें एसईजेड क्षेत्र से डीटीए (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) में विक्रय करने पर विक्रय कर, वैट, ऑक्द्राय, मण्डीटैक्स, परचेस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी सेस, स्टाम्प ड्यूटी आदि पर से छूट थी इसलिए उनके द्वारा तत्समय वाणिज्यिक कर/वैट न ही चार्ज किया गया एवं न ही उसका भुगतान किया गया। तदनुसार ही वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई का निरंक एसेसमेंट किया जाता रहा। तत्पश्चात् वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के पूर्व के वर्षों (वर्ष 2005–06 से) के प्रकरण पुनः खोले जाकर इकाई पर कर अधिरोपित किया गया है। उक्त स्थिति अनुसार इकाई द्वारा ग्राहकों से कर का संग्रहण करना प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 19.02.2013 से वैट/सीएसटी जमा किया जा रहा है।

3 इकाई का यह भी कथन है कि उनके द्वारा एसईजेड के नियमों के अनुरूप कार्यवाही की गई है तथा प्रादेशिक करों के स्थान पर कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी तथा अतिरिक्त काउंटर वेलिंग ड्यूटी चुकाई गई है। अतः उन पर अब इस तरह की देयता निकाला जाना उपयुक्त नहीं

है। उक्त आधार पर इकाई द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन चाहा गया है ताकि पूर्व के वर्षों हेतु यदि टेक्स चुकाया जाता है तो उस पर निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त की जा सके।

4 उल्लेखनीय है कि इकाई द्वारा अधिरोपित दोहरी कराधान व्यवस्था समाप्त करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 7.5.2012 में शासनादेश क्रमांक एफ 16/40/12/पी-11 दिनांक 24.4.2013 से अमान्य किया गया है। इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालयबैंच इंदौर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी न. 6666/2008 दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2012 को आदेश पारित किया गया जिसमें प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्राइफेक, आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं विकास आयुक्त, एसईजेड बैठक आयोजित कर निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया था।

5 माननीय न्यायालयके निर्णय के परिपालन में दिनांक 03.01.2013 अपर मुख्यसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग रोजगार विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, अपर सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्राइफेक एवं प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर उपस्थित थे। समिति द्वारा एसईजेड डोमेस्टिक टेरिफ एरियर (DTA) में किये गये विक्रय को निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं माना गया है। तदनुसार माननीय न्यायालयको अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय न्यायालयद्वारा दिनांक 18.07.2013 को उक्त प्रकरण में विकास आयुक्त, एसईजेड उपस्थित नहीं होने से पूर्व में जारी आदेश दिनांक 23.08.2012 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

6. माननीय न्यायालयके आदेश दिनांक 18/07/2013 के परिपालन में दिनांक 12/08/2013 को बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया है जिसका क्रियान्वयन भाग निम्नानुसार है:-

“प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा एसआरएफ लि. द्वारा याचिका में उठाए गए बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 तथा मध्यप्रदेश विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अर्न्तगत विधि और विधायी कार्य विभाग से अभिमत प्राप्त कर उच्च न्यायालयमें शासन पक्ष प्रस्तुत किया जावे।”

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी./कं 6666 में दिनांक 31.01.2014 को दिये गये आदेश का क्रियान्वयन भाग निम्नानुसार है:-

“We find that number of amendments have already been carried out in the petition. When the Court has pointed out this fact to the learned counsel for the petitioner, he seeks leave to withdraw this petition with liberty to the petitioner to file a fresh petition taking all the grounds as may be available to the petitioner.

With the aforesaid liberty, the petitioner is dismissed as withdrawn.

The interim order passed earlier in this case shall remain operative for three weeks. ”

उपरोक्त आदेश के परिपालन में इकाई द्वारा याचिका क्रमांक डबल्यू.पी. 1421/14 माननीय उच्च न्यायालयबेंच इंदौर दायर किया है, जिसमें दिनांक 21.02.2014 को निम्नुसार आदेश पारित किया गया:-

“Issue notice, returnable on 2.4.14. In addition, *Dasti* permitted. Reply, on or before 24.3.14.”

उपरोक्तानुसार प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। भारत सरकार की अधिसूचना क्र. 45/2005-कस्टम्स दिनांक 16/05/2005 तथा स्पष्टीकरण दिनांक 30/12/2013 के अनुसार एसईजेड में स्थापित इकाईयों के उत्पाद पर राज्य शासन को जमा वेट एवं सीएसटी की छूट होने पर Special Additional Duty of Customs, जो कि 4 प्रतिशत देय है जमा करने तथा राज्य शासन को वेट एवं सीएसटी जमा करने की छूट नही होने पर Special Additional Duty of Customs जमा नही करने का प्रावधान है।

7. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता 2004 में इकाई द्वारा उत्पाद के विक्रय के पश्चात कर के रूप (वेट/सीएसटी) में जमा की गई राशि (जिसमें कच्चे माल पर चुकाये गये कर की राशि सम्मिलित नहीं है) के 50-75 प्रतिशत की सहायता उत्पादन दिनांक से योजनांतर्गत निर्धारित अवधी के लिये भुगतान किया जाता है। उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई को पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 31.10.2010 तक किये जाने का प्रावधान है, परन्तु राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना समिति की बैठक दिनांक 16.06.2009, 30.03.2010 एवं अन्य पूर्व बैठकों में इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात पंजीयन हेतु विलंब से प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में इकाईयों द्वारा विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में बताये गये कारणों को दृष्टिगत रखते हुये विलंब के कारण को मान्य कर इकाईयों को पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देने तथा पात्रता अवधि की गणना उत्पादन दिनांक से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता 2004 के अर्न्तगत सहायता प्राप्त करने के लिये योजनांतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 31.10.2010 तक किये जाने का प्रावधान है। चूंकि इकाई द्वारा 31.10.2010 के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः योजनान्तर्गत इकाई के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

9. इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात नवीन इकाई, विस्तारित एवं शक्लीकृत उत्पाद के पंजीयन हेतु दिनांक 07.08.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया है। इकाई द्वारा विलंब आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में बताये गये कारणों के अनुसार एसईजेड एक्ट 2005 के अनुसार एसईजेड में स्थापित इकाईयों द्वारा डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में विक्रय को Deemed Import मानकर Special Additional Duty of Customs, लेने का प्रावधान है। बशर्त कि ऐसे विक्रय पर राज्य शासन द्वारा वेट नही लिया गया हो। इकाई द्वारा वर्ष 2013 से वाणिज्यिक कर विभाग को कर जमा किया जा रहा है तथा वर्ष 2005-06 से कर निर्धारण आदेश को पुनः खोले जाकर इकाई

को कर अधिरोपित किया जा रहा है। इस प्रकार इकाई को वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2005-06 से कर जमा करना होगा। इस प्रकार इकाई द्वारा कर जमा किये जाने से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अर्न्तगत सहायता प्राप्त करने की पात्रता है परन्तु सहायता प्राप्त करने के लिये पंजीयन आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड.—इन्दौर, एसईजेड पीथमपुर, जिला—धार के नवीन इकाई, विस्तारित इकाई एवं शक्लीकृत उत्पाद के लिये पंजीयन करने के संबंध में बताये गये कारणों पर विचार किया गया। इसी प्रकार एसईजेड में स्थापित अन्य इकाईयों द्वारा भी पंजीयन हेतु आवेदन किये जायेंगे। अतः प्रकरण नीतिगत होने से निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

2. एजेण्डा क्रमांक 5 —मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि., पीथमपुर, जिला धार—

समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में इकाई का वर्ष 2008-09 का क्लेम स्वीकृत की जाकर इकाई के पक्ष में क्लेम राशि रू. 26.91 लाख वितरित की जा चुकी है।

वर्ष 2008-09 हेतु तत्समय स्वीकृत क्लेम में एक उत्पाद 'फेब्रिक' पर सुविधा प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि उक्त उत्पाद पंजीयन में सम्मिलित नहीं था। तत्पश्चात् इकाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 21.08.2008 के आधार पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में, इकाई के उत्पाद 'फेब्रिक' को आवेदन के दिनांक 21.08.2008 से निवेश संवर्धन सहायता हेतु पंजीयन में जोड़े जाने का निर्णय लिये जाने से संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उपरोक्त आधार पर इकाई को वर्ष 2008-09 में दिनांक 21.08.2008 से अन्य पंजीकृत उत्पादों के साथ 'फेब्रिक' पर भी निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता है। इकाई द्वारा वर्ष 2008-09 में दिनांक 21.08.2008 से 31.03.2009 तक 'फेब्रिक' पर चुकाये गये कर पर सुविधा सम्मिलित नहीं होने से उक्त तिथि में 'फेब्रिक' उत्पाद पर सुविधा हेतु पूरक क्लेम प्रस्तुत किया है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के पक्ष में फेब्रिक हेतु वर्ष 2008-09 में दिनांक 21.08.2008 से 31.03.2009 तक पूरक क्लेम में चुकाये गये कर रू. 5.22 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.61 लाख निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होने की अनुशंसा की गई है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर एवं वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर समिति द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2008-09 में दिनांक 21.08.2008 से 31.03.2009 तक 'फेब्रिक्स' पर चुकाये गये कर रू. 5.22 लाख (कच्चा माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.61 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

3. एजेण्डा क्रमांक 6— मेसर्स के.जे.वी. अलाय कंडक्टर्स लि. जिला छिंदवाड़ा—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1125.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2009 से 28.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 91.31 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 68.48 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

4. एजेण्डा क्रमांक 7— मेसर्स जी.ई.आई. पॉवर लि. मण्डीद्वीप, जिला रायसेन—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 27.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाई के उत्पादन दिनांक तक मान्य योग्य स्थाई पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख एवं समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में इकाई के उत्पादन दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में किये गए अतिरिक्त स्थाई पूंजी निवेश रू. 5582.94 सहित कुल रू. 6441.46 लाख में मान्य किया गया है।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.12 में इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक 27.03.2009 तक मान्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख होने तथा इकाई औद्योगिक श्रेणी की 'स' श्रेणी के जिले में स्थापित होने से वर्ष 2009-10 में इकाई द्वारा जमा कर रू. 1,92,90,903.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आई.टी.आर करने के पश्चात्) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 96,45,451.00 तथा पात्रता अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 मान्य कर स्वीकृत किया गया था।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में उत्पादन दिनांक तक न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा से तीन वर्ष के अंतराल में किए गए पूंजी निवेश को सम्मिलित कर पात्रता की गणना करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण में उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी निवेश रू. 858.52 लाख एवं दिनांक 31.03.2010 तक अतिरिक्त मान्य पूंजी निवेश रू. 516.65 लाख कुल 1375.17 लाख जो कि 75 प्रतिशत सहायता की न्यूनतम सीमा रू. 10.00 करोड़ से अधिक हो जाने के कारण इकाई द्वारा जमा कर रू. 1,92,90,903.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आई.टी.आर करने के पश्चात्) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,44,68,177.00 स्वीकृत किया गया तथा 25 प्रतिशत राशि रू. 48,22,725.00 वितरित करने का भी निर्णय लिया गया था।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.12 में लिए गए नीतिगत निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया था। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया है कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई है। शासनादेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2010-11 में जमा कर रु. 53758567.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 40318925 स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। इकाई के क्लेम प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा क्लेम प्रकरण कर निर्धारण आदेश के पश्चात निर्धारित समयावधि 60 दिवस के बाद आवेदन प्रस्तुत किया है इस संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि जमा किये गये कर का प्रमाणीकरण प्रपत्र 4 में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी करने के प्रावधान है, जो आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तदनुसार इकाई के पक्ष में दिनांक 06.03.2013 को प्रपत्र 4 जारी किया गया है। इस प्रकार इकाई द्वारा प्रपत्र 4 जारी होने के 7 दिवस में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत कर दिया है, कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.01.2013 के पश्चात क्लेम प्रकरण दिनांक 13.03.2013 को प्रस्तुत करने के संबंध में इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार तथ्यों के अनुसार ही अवगत कराया गया है।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.12 में लिए गए नीतिगत निर्णय से वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त करने के कारण समिति द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार किया जाकर इकाई के उत्पादन दिनांक 27.03.09 तक मान्य पूंजी निवेश रु. 858.52 लाख जो कि 75 प्रतिशत पात्रता की न्यूनतम सीमा रु. 10.00 करोड़ से कम होने से वर्ष 2009-10 में कुल जमा कर 1,92,90,903.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आईटीआर कम करने के पश्चात) का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 96,45,451.00 तथा पात्रता अवधि 05 वर्ष (दिनांक 27.03.09 से 26.03.14) मान्य किया जाता है तथा समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्वीकृत राशि रु. 48,22,725.00 का समायोजन वर्ष 2010-11 के लिये स्वीकृत राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक के पश्चात तीन वर्ष में किये गये अतिरिक्त मान्य पूंजी निवेश रु. 5,582.94 लाख को सम्मिलित कर कुल पूंजी निवेश रु. 6441.46 लाख मान्य किया गया।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण के प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के लिये बताये गये कारणों को मान्य करते हुये इकाई द्वारा कुल जमा कर राशि रु 5,37,58,567.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आईटीआर कम करने के पश्चात) का 50 प्रतिशत अर्थात् राशि रु. 2,68,79,283.00 स्वीकृत किया जाकर वर्ष 2009-10 में स्वीकृत अतिरिक्त वितरित राशि रु. 48,22,725.00 के समायोजन उपरान्त राशि रु. 2,20,56,558.00 वितरण करने का निर्णय लिया गया।

5. एजेण्डा क्रमांक 8— मेसर्स विष्णी स्पिनप्रो लि., देवास—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2006-07 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2006 है। वर्ष 2006-07 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 634.60 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

इकाई द्वारा वर्ष 2006-07 का क्लेम प्रकरण कर निर्धारण आदेश के पश्चात निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अवगत कराया गया कि कम्पनी में उक्त कार्य संपादित करने वाले अधिकारी कम्पनी छोड़ने के कारण क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन को शिथिल करते हुये वर्ष 2006-07 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 6.58 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 3.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

6. एजेण्डा क्रमांक 9— मेसर्स विप्पी स्पिनप्रो लि., देवास—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2007-08 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2006 है। वर्ष 2007-08 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 634.60 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2010 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

इकाई द्वारा वर्ष 2007-08 का क्लेम प्रकरण कर निर्धारण आदेश के पश्चात निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अवगत कराया गया कि कम्पनी में उक्त कार्य संपादित करने वाले अधिकारी कम्पनी छोड़ने के कारण क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के कुल जमा कर रू. 0.93 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 0.46 की सहायता दिये जाने की अनुशंसा की गई है, परन्तु समिति के समक्ष अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के निर्मित माल के विक्रय पर जमा कर रू. 3,94,450/- में अनुपातिक उत्पादन क्षमता का जमा कर रू. 3,32,126/- कम करने के पश्चात अतिरिक्त उत्पादन पर जमा कर रू. 58,417/- हुआ है। अतः समिति द्वारा इकाई के विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन को शिथिल करते हुये वर्ष 2007-08 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 0.58 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 0.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

7. एजेण्डा क्रमांक 10— मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., यूनिट 2, जिला सतना—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2011 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 80889.65 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2017 तक (7 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 6034.61 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 4525.96 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. एजेण्डा क्रमांक 11— मेसर्स जेसीओ गेस पाईप लि., छिंदवाड़ा—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.04.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2507.95 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के कुल जमा कर रू. 112.40 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 84.30 की सहायता दिये जाने की अनुशंसा की गई है, परन्तु समिति के समक्ष अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के जमा कर राशि में से ब्याज/शास्ति की कमी पश्चात् कुल जमा कर रू. 110.49 लाख मान्य किया गया है। अतः समिति द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 110.49 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 82.86 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

9. एजेण्डा क्रमांक 12— मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता एवं शक्लीकृत उत्पाद का उत्पादन दिनांक 02.02.2008 से प्रारंभ किया है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. एजेण्डा क्रमांक 13— मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता एवं शक्लीकृत उत्पाद का उत्पादन दिनांक 02.02.2008 से प्रारंभ किया है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

11. एजेण्डा क्रमांक 14— मेसर्स व्हीआरएस फूड लि. मालनपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता एवं शक्लीकृत उत्पाद का उत्पादन दिनांक 02.02.2008 से प्रारंभ किया है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

12. एजेण्डा क्रमांक 15— मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.06.2010 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1246.85 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.06.2010 से 03.06.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 26.91 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 20.18 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

13. एजेण्डा क्रमांक 16— मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.06.2010 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा उपरोक्त एजेण्डा क्रमांक 12 में इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 1246.85 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.06.2010 से 03.06.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 224.99 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 168.74 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. एजेण्डा क्रमांक 17— मेसर्स अग्रवाल इण्डोटेक्स लि., खण्डवा—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.09.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है।

इकाई के क्लेम प्रकरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि रूई क्रय पर की गई स्रोत पर कटौती रू. 1,26,60,592/- जमा कर रू. 64,29,192/- से अधिक होने से निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई का प्रकरण टीडीएस से संबंधित होने से स्थगित किया गया है।

15. एजेण्डा क्रमांक 18— मेसर्स एच.डी. वायर्स प्रा.लि., (गेलवेनाइज्ड डिविजन) इंदौर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.06.2007 है। वर्ष 2009-10

हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 501.81 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.06.2007 से 31.05.2010 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रु. 82.37 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 41.18 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

16. एजेण्डा क्रमांक 19— मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि.—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 19.03.2007 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ वर्ष का तृतीय क्लेम है।

इकाई को वर्ष 2006-07 का क्लेम निरंक इकाई को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु क्रमशः रु. 71.15 लाख एवं रु. 253.25 लाख स्वीकृति एवं वितरित की जा चुकी हैं। इकाई का वर्ष 2007-08 के स्वीकृति के दौरान उत्पादन दिनांक तक किये गये मान्य स्थायी पूंजी निवेश रु. 1768.82 लाख एवं पात्रता अवधि दिनांक 19.03.2007 से 18.03.2012 तक मान्य किया गया था। तत्पश्चात समिति की बैठक दिनांक 21.12.2012 में इकाई के उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में किये गये पूंजी निवेश रु. 1800.42 लाख सहित कुल रु. 3569.24 लाख मान्य किये जाने से समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये निम्नानुसार नीतिगत निर्णय 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गई, परन्तु उक्त निर्णय की पुष्टि वित्त विभाग से अपेक्षित होने से इकाई के क्लेम वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में 50 प्रतिशत राशि ही वितरित की गई है।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिए गए नीतिगत निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया था। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया है कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई है। शासनादेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009-10 में जमा कर रु. 784.93 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 588.69 लाख स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। इकाई के क्लेम प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा क्लेम प्रकरण कर निर्धारण आदेश के पश्चात निर्धारित समयावधि 60 दिवस के बाद आवेदन प्रस्तुत किया है इस संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई का वर्ष 2009-10 क्लेम प्रकरण का निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2012 जारी होने के पश्चात निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के पश्चात सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इकाई द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने संबंध में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम द्वारा निम्नानुसार तथ्यों से अवगत कराया गया है:—

“कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग रतलाम द्वारा वर्ष 2009-10 में जमा केंद्रीय एवं प्रांतीय (वेट) कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.06.2012 को जारी किये गये हैं एवं कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-1, रतलाम द्वारा वर्ष 2009-10 में जमा कर की राशि

की पुष्टि हेतु निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 4 दिनांक 17.07.2013 को जारी किया गया। इकाई द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.07.2013 में लेख किया गया है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उन्हें योजना अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 4 दिनांक 17.07.2013 को जारी किया गया है। योजना की कंडिका क्रमांक 8.11 में उल्लेख अनुसार वाणिज्यिक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र 4 मूल आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होने से इकाई स्तर पर किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र क्र. 4 दिनांक 17.07.2013 को जारी किये जाने के उपरांत इकाई द्वारा मात्र 7 दिन में ही दिनांक 24.07.2013 को सुविधा स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। इकाई द्वारा प्रकरण में विलंब की अवधि को क्षम्य कर प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सुविधा स्वीकृति करने हेतु अनुरोध किया गया है।”

समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिए गए नीतिगत निर्णय से वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने कारण समिति द्वारा प्रकरण में पुर्नविचार कर इकाई द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन के लिये बताये गये कारणों को मान्य किया जाकर इकाई के उत्पादन दिनांक 19.03.2007 तक मान्य पूंजी निवेश रू. 1768.82 लाख जो कि 75 प्रतिशत पात्रता की न्यूनतम सीमा रू. 20.00 करोड़ से कम होने से 50 प्रतिशत एवं पात्रता अवधि 19.03.2007 से 18.03.2012 तक (5 वर्ष) मान्य किया जाता है। समिति की 20 वी बैठक दिनांक 21.12.2012 में इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक के पश्चात 3 वर्ष की अवधि में रू. 1800.42 लाख अतिरिक्त पूंजी निवेश को सम्मिलित कर कुल पूंजी निवेश रू. 3569.24 लाख मान्य किया जा चुका है। तदनुसार वर्ष 2009-10 में कुल जमा कर रू. 784.93 लाख (जिसमें कच्चे माल क्रय पर जमा किया गया कर सम्मिलित नहीं हैं एवं आईटीआर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 392.46 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

17. एजेण्डा क्रमांक 20— मेसर्स डायमंड सीमेंट, दमोह—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 18.02.2013 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 96610.61 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 18.02.2013 से 17.02.2023 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 247.71 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 185.78 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

18. एजेण्डा क्रमांक 21— मेसर्स मंतरम टेक्नोफेब प्रा.लि., बड़वानी—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के प्रथम क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई है एवं नवीन इकाई के रूप में इकाई का उत्पादन दिनांक 03.11.2010 है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना समिति की बैठक दिनांक 16.06.2009, 30.03.2010 एवं अन्य पूर्व बैठकों में इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात पंजीयन हेतु विलंब से प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में इकाईयों द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में बताये गये कारणों को दृष्टिगत रखते हुये विलंब के कारण को मान्य कर इकाईयों को पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देने तथा पात्रता अवधि की गणना उत्पादन दिनांक से किये जाने का निर्णय लिया गया है। ट्राईफेक में पंजीयन हेतु आवेदन 19.4.2011 को प्रस्तुत किया गया है तथा पंजीयन 5.5.2011 की वैधता से जारी किया गया है। अतः 2010-11 में निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती हैं।

इकाई का पंजीयन उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2010 के अंतर्गत किया गया है। उक्त योजना की कण्डिका क्रमांक 8.3 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“योजनांतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तावित परियोजना की स्थिति में किया जावेगा तथापि उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात आवेदन किये जाने पर यथास्थिति महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि., भोपाल द्वारा युक्तियुक्त कारणों से विलम्ब को शिथिल करके पंजीयन जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।”

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2004 में विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर इकाई का पंजीयन किया जाए अथवा नहीं इस संबंध में कोई प्रावधान न होने से समिति की बैठक दिनांक 16.06.2009, 30.03.2010 एवं अन्य बैठकों में वाणिज्यिक कर विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुसार निर्णय लिया जाकर आगामी अवधि की सुविधाएं इकाई को दी गई है, परन्तु उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना, 2010 में विलम्ब को शिथिल करके पंजीयन जारी करने के अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि., भोपाल को है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई के पंजीयन के संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि., भोपाल द्वारा समुचित निर्णय पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में समिति के विचारार्थ रखा जाये।

19. एजेण्डा क्रमांक 22— मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के प्रथम क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 07.10.2012 है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

20. एजेण्डा क्रमांक 23— मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 19.12.2005 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह छटवा क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 665.83 लाख एवं सुविधा अवधि दनांक 19.12.2005 से 18.12.2010 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 143.64 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 71.82 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

21. एजेण्डा क्रमांक 24— मेसर्स पेरेन्ट्रल ड्रग्स (इंडिया) लि., इंदौर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 28.02.2010 है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के संबंध में संभागीय उपायुक्त का प्रतिवेदन अपेक्षित है। अतः समिति द्वारा प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

22. एजेण्डा क्रमांक 25— मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 05.03.2009 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह पांचवा क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1808.83 लाख एवं सुविधा अवधि दनांक 05.03.2009 से 04.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 169.48 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 127.11 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

23. एजेण्डा क्रमांक 26— मेसर्स पेब स्टील लायड (इंडिया) लि., खेड़ा, पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.08.2007 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2101.70 लाख एवं सुविधा अवधि दनांक 01.08.2007 से 31.07.2017 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 113.71 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 85.28 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

24. एजेण्डा क्रमांक 27— मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि. पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.09.2006 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह पाचवा क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 597.50 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.09.2006 से 29.09.2011 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 61.11 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 30.55 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

25. एजेण्डा क्रमांक 28— मेसर्स रमानी आईसक्रीम, भोपाल—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 31.03.2010 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। इकाई का प्रथम क्लेम निरंक है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 503.58 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 31.03.2010 से 30.03.2013 तक (3 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 124.33 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 62.16 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

26. एजेण्डा क्रमांक 29— मेसर्स मैहर सीमेंट, मैहर, सतना—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह पाँचवा क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2013 तक (7 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के कुल जमा कर रू. 1010.47 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 757.85 की सहायता दिये जाने की अनुशंसा की गई है, परन्तु समिति के समक्ष अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के अनुपातिक उत्पादन क्षमता का जमा कर रू. 905.31 लाख है। अतः समिति द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 905.31 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 678.98 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

27. एजेण्डा क्रमांक 30— मेसर्स इकॉन ऑट्री लि., ग्वालियर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 05.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 353.49 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 05.03.2009 से 04.03.2014 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 62.31 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 31.15 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

28. एजेण्डा क्रमांक 31— मेसर्स सिद्धी विनायक एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., छिंदवाड़ा—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.09.2012 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2296.99 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.09.2012 से 31.08.2022 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 32.78 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 24.58 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

29. एजेण्डा क्रमांक 32— मेसर्स एपी इंडिया बायोटेक प्रा.लि. मेघनगर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 03.07.2012 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2057.00 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 03.07.2012 से 02.07.2022 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रयपर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 226.00 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 169.50 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

30. एजेण्डा क्रमांक 33— मेसर्स उदयपुर बेवरेजेस लि., रिछाई, जबलपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई शक्तीकृत उत्पाद का उत्पादन दिनांक 21.03.2012 सं प्रारंभ किया है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश 2129.72 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 21.03.2012 से 20.03.2022 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 1.28 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 0.96 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

31. एजेण्डा क्रमांक 34— मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लि., देवसर, सिंगरौली—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 07.07.2007 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 3504.77 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 07.07.2007 से 06.07.2017 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 165.92 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 124.44 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

32. एजेण्डा क्रमांक 35— मेसर्स भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट प्रा.लि., खजुरी सड़क, भोपाल—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 04.02.2008 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह अंतिम क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 313.08 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.02.2008 से 03.02.2011 तक (3 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 228.67 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 114.33 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

33. एजेण्डा क्रमांक 36— मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि., धार।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.03.2009 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1223.63 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 85.79 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 64.34 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

34. एजेण्डा क्रमांक 37— मेसर्स श्री तिरूपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. पीथमपुर।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2008 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 361.79 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2008 से 28.02.2013 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे

माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 87.12 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 43.56 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

35. एजेण्डा क्रमांक 38— मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित इकाई है एवं विस्तार अंतर्गत उत्पादन दिनांक 30.12.2009 है। वर्ष 2009-10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश 524.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.12.2009 से 29.12.2014 तक (5 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2009-10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 99.41 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 49.70 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

36. एजेण्डा क्रमांक 39— मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित इकाई है एवं विस्तार अंतर्गत उत्पादन दिनांक 30.12.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा इकाई के प्रथम क्लेम के दौरान उपरोक्त एजेण्डा बिन्दु— 38 में इकाई के स्थायी पूंजी निवेश 524.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.12.2009 से 29.12.2014 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई के वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 356.12 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 178.06 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

37. एजेण्डा क्रमांक 40— मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि. सतना—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 09.03.2012 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है।

इकाई के क्लेम प्रकरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि—

“म.प्र उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2010 की कंडिका 6.10 के तहत कुल रोजगार का 50 प्रतिशत रोजगार म.प्र के मूल निवासियों को दिये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।

व्यवसायी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 9 सी के तहत देय कर 2011-2012 एवं 2012-2013 की अब तक की अवधि की विवरणी में न दर्शाते हुए जमा नहीं किया जा रहा है।

व्यवसायी द्वारा विवरणी भी विलंब से प्रस्तुत की गई है, जिसके कारण 12,81,672/- का ब्याज वेट के तहत, 1,72,334/- का ब्याज प्रवेशकर के तहत प्रथम विवरणी के अंतर्गत तथा रू 4,60,101/- का ब्याज वेट के अंतर्गत रू. 1,94,978/- का ब्याज प्रवेशकर के अंतर्गत द्वितीय

विवरणी के तहत संगणित करते हुये सूचना पत्र जारी किया गया है जो आज तक जमा नहीं किया गया है साथ ही व्यवसायी द्वारा वर्ष 2013-14 की तृतीय विवरणी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कारण व्यवसायी के विरुद्ध वैट के अंतर्गत 5.33 करोड़ केन्द्रीय के अंतर्गत 75.34 लाख तथा प्रवेशकर में 63.07 लाख का अग्रिम कर बाकी है। आज दिनांक तक उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा व्यवसायी की फार्म 49 की सुविधाएं बंद कर दी गई है।

उद्योग संवर्धन सहायता योजना, 2004 के कण्डिका क्रमांक 8.18 के तहत वाणिज्यिक कर अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत विक्रयकर की भुगतान की देयता के संबंध में दोषी होने की स्थिति में प्रकरण विचारित नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर व्यवसायी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के नियमित पालन के सुनिश्चित होने तक व्यवसायी के विषयांकित आवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा।”

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की देयता के निराकरण होने तक इकाई का प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

38. एजेण्डा क्रमांक 41— मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट प्लांट, सीधी—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2009 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रु. 76300.00 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2009 से 28.02.2019 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है।

इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि—

“संभागीय उपायुक्त के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2010-2011 हेतु पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2013 के तहत आलोच्य अवधि हेतु कुल कर वैट के अंतर्गत रु. 426771952/- तथा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत रु. 7919386/- का कर निरूपित किया गया है। आलोच्य अवधि हेतु रु. 11915377/- का इनपुट टैक्स रिबेट वैट प्रकरण के विरुद्ध तथा निरंक का इनपुट टैक्स रिबेट केन्द्रीय कर के विरुद्ध समायोजित करने के पश्चात वैट के अंतर्गत 414856575/- तथा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत 7919386/- की राशि शेष देय रही है, जिसके विरुद्ध व्यवसायी द्वारा विवरणी के तहत वैट अधिनियम के अंतर्गत रु. 408086012/- की राशि तथा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत 7919386/- जमा कराये गये है। इस प्रकार कुल जमा राशि रु. 416004398/- होती है। व्यवसायी द्वारा संवर्धन सहायता योजना के तहत रु. 312003299/- का क्लेम किया गया है।

इकाई द्वारा 01.10.2013 से 31.12.2013 की अवधि हेतु धारा 9 सी के अंतर्गत देय कर रु. 2099645/- बताया है। इसके अतिरिक्त व्यवसायी द्वारा जनवरी 2014 का देय कर रु. 5.00 करोड़ भी भुगतान हेतु शेष है। आलोच्य इकाई जय प्रकाश एसोसिएटेड लिमि. की एक यूनिट है, जिसका अन्य 2 यूनिट जे.पी. बेला एवं जे.पी. रीवा जिनके विरुद्ध क्रमशः रु. 501806/- तथा रु.

1560814/— की राशि धारा 9 सी के तहत 01.10.2013 से 31.12.2013 की अवधि एवं माह जनवरी 14 की कर की राशि भी जे.पी. रीवा के विरुद्ध रू. 2.59 करोड़ भुगतान भी शेष है।

उद्योग संवर्धन सहायता योजना 2004 के कंडिका क्रमांक 8.18 के तहत वाणिज्यिक कर अथवा केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत विक्रयकर की भुगतान की देयता के संबंध में दोषी होने की स्थिति में प्रकरण विचारित नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर व्यवसायी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के नियमित पालन के सुनिश्चित होने तक व्यवसायी के विषयांकित आवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा।”

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की देयता के निराकरण होने तक इकाई का प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

39. एजेण्डा क्रमांक 42— मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.06.2010 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा उपरोक्त एजेण्डा क्रमांक 12 में इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू. 1246.85 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.06.2010 से 03.06.2020 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 409.95 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 307.46 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

40. एजेण्डा क्रमांक 43— मेसर्स अंकित पॉलिसेक इंडिया लि., टीकमगढ़।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2012-13 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 15.12.2012 है। वर्ष 2012-13 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1118.31 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 15.12.2012 से 14.12.2022 तक (10 वर्ष) मान्य किया जाकर वर्ष 2012-13 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 70.86 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 53.14 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

41. एजेण्डा क्रमांक 44— मेसर्स विक्रम यूरेथेन प्रा.लि., पीथमपुर—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन इकाई के रूप में स्थापित है। नवीन इकाई का उत्पादन दिनांक 30.03.2009 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय वर्ष का द्वितीय क्लेम है।

इकाई का वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का क्लेम निरंक रहा। वर्ष 2010-11 हेतु समिति द्वारा 75 प्रतिशत सहायता राशि रू. 258.71 लाख स्वीकृत की गई, जिसका वितरण किया जा चुका है।

इकाई के उत्पादन दिनांक तक एवं उसके पश्चात 3 वर्षों में किये गये पूंजी निवेश क्रमशः रू. 969.72 एवं रू 117.67 कुल रू 1087.39 लाख जो कि 75 प्रतिशत की सीमा रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने के कारण समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार वर्ष 2010-11 में जमा कर की राशि रू 344.95 लाख (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू 258.71 लाख स्वीकृत किया जाकर वितरण किया गया।

समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिए गए नीतिगत निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण वित्त विभाग को अग्रेषित किया गया था। इस संबंध में समिति को अवगत कराया गया है कि वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई है। शासनादेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।

महाप्रबंधक एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2011-12 में जमा कर रू. 598.23 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 448.68 लाख स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। समिति द्वारा दिनांक 25.02.2012 को लिये गये निर्णय पर शासन द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप इकाई के वर्ष 2010-11 में स्वीकृति 75 प्रतिशत क्लेम राशि रू. 258.71 लाख के स्थान पर पुनर्विचार उपरान्त 50 प्रतिशत अर्थात् राशि रू. 172.47 लाख एवं पात्रता अवधि 10 वर्ष के स्थान पर उत्पादन दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2014 (5 वर्ष) मान्य करते हुये पूर्व में इकाई को 25 प्रतिशत अधिक वितरित हुई राशि रू. 86.24 लाख का समायोजन वर्ष 2011-12 के क्लेम की स्वीकृत राशि से किये जाने का निर्णय लिया गया।

इकाई के वर्ष 2011-12 में कुल चुकाये गये कर की राशि रू. 598.23 लाख (जिसमें कच्चे माल क्रय पर चुकाया गया कर सम्मिलित नहीं है) का 50 प्रतिशत राशि रू. 299.11 लाख स्वीकृत करते हुये उपरोक्त स्थिति अनुसार वर्ष 2010-11 में अधिक वितरित हुई राशि रू. 86.24 लाख का समायोजन करने के उपरान्त राशि रू. 212.87 लाख का वितरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

42. एजेण्डा क्रमांक 45— मेसर्स नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. यूनिट न0. 2, धार—

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011-12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.11.2004 है। वर्ष 2011-12 हेतु इकाई से प्राप्त यह आठवाँ क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 9897.19 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.11.2004 से 03.11.2014 तक (10 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 1052.12 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 789.09 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

43. अतिरिक्त एजेण्डा क्रमांक – 1 मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि., पीथमपुर–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010-11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.02.2006 है। वर्ष 2010-11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 454.04 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.02.2006 से 03.02.2011 तक (5 वर्ष) मान्य किया जा चुका है। इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 454.16 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 227.08 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

इकाई द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, 2004 के अंतर्गत किये गये पंजीयन में उल्लेखित क्षमता से अधिक का उत्पादन आलोच्य वर्ष में किया गया है। अतः समिति द्वारा इकाई के पंजीयन प्रमाण पत्र में बढी हुई क्षमता पर नियमानुसार निर्णय उपरान्त उपरोक्त स्वीकृत राशि के वितरण की कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है।

सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन
सहायता समिति

(पी.के दाश)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग एवं
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन
सहायता समिति

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की 23वीं
बैठक दिनांक 20.02.2014 में उपस्थित प्राधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1.	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री अरुण कुमार भट्ट	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3.	श्री अरुण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक / एमपी.एस. आई.डी.सी, सदस्य सचिव
4.	श्री नीरज मण्डलोई	सचिव, वित्त विभाग, सदस्य
5.	श्री ए. के मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यक कर, सदस्य
अन्य अधिकारी		
1.	श्री व्ही. किरण गोपाल	अतिरिक्त प्रबंध संचालक, ट्रायफेक
2.	श्री सी. एस धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, ट्रायफेक

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनांतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की सूची

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि., पीथमपुर, जिला धार।	30.09.2006 (विस्तार)	597.50	'स'	30.09.2006 से 29.09.2011 – 5 वर्ष, (50%)	2008-09	2.61
2	मेसर्स के.जे.वी. अलाय कंडक्टर्स लि. जिला छिंदवाड़ा।	29.03.2009 (नवीन)	1125.09	'स'	29.3.2009 से 28.3.2019 – 10 वर्ष (75%)	2010-11	68.48
3	मेसर्स जी.ई.आई. पाँवर लि. मण्डीद्वीप, जिला रायसेन,	27.03.2009 (नवीन)	858.52 (उत्पादन दिनांक तक) 5582.92 (तीन वर्ष में) कुल 6441.44	'स'	27.3.2009 से 26.3.2014 – 5 वर्ष (50%)	2010-11	220.56
4	मेसर्स विष्पी स्पिनप्रो लि., देवास।	1.1.2006 (विस्तार)	634.60	'अ'	1.1.2006 से 31.12.2010 – 5 वर्ष (50%)	2006-07	3.29
5	मेसर्स विष्पी स्पिनप्रो लि., देवास।	1.1.2006 (विस्तार)	634.60	'अ'	1.1.2006 से 31.12.2010 – 5 वर्ष (50%)	2007-08	0.29
6	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., यूनिट 2, जिला सतना।	1.1.2011 (नवीन)	80889.65	'अ'	1.1.2011 से 31.12.2017 – 7 वर्ष (75%)	2011-12	4525.96
7	मेसर्स जेसीओ गेस पाईप लि., छिंदवाड़ा।	1.4.2009 (नवीन)	2507.95	'स'	1.4.2009 से 31.3.2019 – 10 वर्ष (75%)	2010-11	82.86
8	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 – 10 वर्ष (75%)	2010-11	20.18
9	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 – 10 वर्ष (75%)	2011-12	168.74
10	मेसर्स एच.डी. वायर्स प्रा.लि., (गोलवेनाइज्ड डिविजन) इंदौर।	1.6.2007 (नवीन)	501.81	'विकसित'	1.6.2007 से 31.5.2010 – 3 वर्ष	2009-10	41.18
11	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि. रतलाम।	19.3.2007 (नवीन)	1768.82 (उत्पादन दिनांक तक) 1800.42 (तीन वर्ष में) कुल 3569.24	'अ'	19.3.2007 से 18.3.2012 – 5 वर्ष (50%)	2009-10	392.46
12	मेसर्स डायमंड सीमेंट, दमोह।	18.2.2013 (विस्तार)	96610.61	'स'	18.2.2013 से 17.2.2023 – 10 वर्ष (75%)	2012-13	185.78
13	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., झाबुआ।	19.12.2005 (नवीन)	665.83	'स'	19.12.2005 से 18.12.2010 – 5 वर्ष (50%)	2010-11	71.82
14	मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर।	5.3.2009 (नवीन)	1808.83	'स'	5.3.2009 से 4.3.2019 – 10 वर्ष (75%)	2012-13	127.11
15	मेसर्स पेब स्टील लायड (इंडिया) लि., खेड़ा, पीथमपुर।	1.8.2007 (नवीन)	2101.70	'स'	1.8.2007 से 31.7.2017 – 10 वर्ष (75%)	2009-10	85.28
16	मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लि. पीथमपुर।	30.9.2006 (विस्तार)	597.50	'स'	30.9.2006 से 29.9.2011 – 5 वर्ष (50%)	2010-11	30.55

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	मेसर्स रमानी आईसक्रीम, भोपाल।	31.3.2010 (विस्तार)	503.58	विकसित	31.03.2010 से 30.3.2013 - 3 वर्ष (50%)	2010-11	62.16
18	मेसर्स मैहर सीमेंट, मैहर, सतना।	1.1.2007 (विस्तार)	8767.45	'अ'	1.1.2007 से 31.12.2013 - 7 वर्ष (75%)	2010-11	678.98
19	मेसर्स इकॉन अंत्री लि., ग्वालियर।	5.3.2009 (विस्तार)	353.49	'स'	5.3.2009 से 4.3.2014 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	31.15
20	मेसर्स सिद्धी विनायक एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.छिंदवाड़ा।	1.9.2012 (नवीन)	2296.99	'स'	1.9.2012 से 31.8.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	24.58
21	मेसर्स एपी इंडिया बायोटेक प्रा. लि. मेघनगर।	3.7.2012 (नवीन)	2057.00	'स'	3.7.2012 से 2.7.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	169.50
22	मेसर्स उदयपुर बेवरेजेस लि. ,रिछाई, जबलपुर।	21.3.2012 (डायवर्सिफिकेशन)	2129.72	'स'	21.3.2012 से 20.3.2022 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	0.96
23	मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लि., देवसर, सिंगरौली।	7.7.2007 (नवीन)	3504.77	'स'	7.7.2007 से 6.7.2017 - 10 वर्ष (75%)	2010-11	124.44
24	मेसर्स भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट प्रा.लि., खजुरी सड़क, भोपाल।	4.2.2008 (नवीन)	313.08	विकसित	4.2.2008 से 3.2.2011 - 3 वर्ष (50%)	2010-11	114.33
25	मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा.लि., धार।	30.3.2009 (विस्तार)	1223.63	'स'	30.3.2009 से 29.3.2019 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	64.34
26	मेसर्स श्री तिरुपति बालाजी एगोट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि. पीथमपुर।	1.3.2008 (विस्तार)	361.79	'स'	1.3.2008 से 28.2.2013 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	43.56
27	मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर।	30.12.2009 (विस्तार)	524.09	'स'	30.12.2009 से 29.12.2014 - 5 वर्ष (50%)	2009-10	49.70
28	मेसर्स बेलमेक्स मेटल इंडिया लि., पीथमपुर।	30.12.2009 (विस्तार)	524.09	'स'	30.12.2009 से 29.12.2014 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	178.06
29	मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा. लि. यूनिट 2, पीथमपुर।	4.6.2010 (विस्तार)	1246.85	'स'	4.6.2010 से 3.6.2020 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	307.46
30	मेसर्स अंकित पॉलिसेक इंडिया लि., टीकमगढ़।	15.12.2012 (नवीन)	1118.31	'स'	15.12.2012 से 14.12.2022 - 10 वर्ष (75%)	2012-13	53.14
31	मेसर्स विक्रम यूरेथिन प्रा.लि., पीथमपुर।	30.3.2009 (नवीन)	969.72 (उत्पादन दिनांक तक) 117.67 (तीन वर्षों में) कुल 1087.39	'स'	30.3.2009 से 29.3.2014 - 5 वर्ष (50%)	2011-12	212.87
32	मेसर्स नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. यूनिट न0. 2, धार।	4.11.2004 (विस्तार)	9897.19	'स'	4.11.2004 से 3.11.2014 - 10 वर्ष (75%)	2011-12	789.09
33	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लि. पीथमपुर	04.02.2006 (विस्तार)	454.04	'स'	04.02.2006 से 03.02.2011 - 5 वर्ष (50%)	2010-11	227.08
कुल योग							9158.55